



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

website: <https://www.bubhopal.ac.in>
Email ID: bueducation25@gmail.com



कमांक 146 / अकादमी/संबद्धता/ शिक्षा संकाय/2026/R
प्रति,

भोपाल, दिनांक 6/07/26

Principal

(कालेज कोड- 042)
Affiliation Renewal
(2025-2026)

1. JAWAHARLAL NEHRU COLLEGE,
PLOT NUMBER 973/1,
VILLAGE/TOWN- MUGALIA HAT,
POST OFFICE – FANDA, TEHSIL/TALUKA- HUZUR,
DISTRICT- BHOPAL MADHYA PRADESH (For B.Ed. COURSE)
2. JAWAHARLAL NEHRU COLLEGE OF EDUCATION,
PLOT NO. 973/1, VILLAGE/TOWN- MUGALIA HAT,
POST OFFICE – FANDA, TEHSIL/TALUKA- HUZUR,
TOWN/CITY- BHOPAL DISTRICT- BHOPAL, PIN CODE-462002,
MADHYA PRADESH (FOR M.Ed. COURSE)
3. JAWAHARLAL NEHRU COLLEGE OF PHYSICAL EDUCATION,
PLOT NO. 973/1, 974/2/2,977/2/2,978/2/2,978/1/2,1026,1004/1,1008,1011,1010,
1027,1028,1029,1025/1,1025/2,1030, VILLAGE/TOWN- MUGALIA HAT,
POST OFFICE – FANDA, TEHSIL/TALUKA- HUZUR,
TOWN/CITY- BHOPAL DISTRICT- BHOPAL, PIN CODE-462002,
MADHYA PRADESH (FOR B.P.Ed. & M.P.Ed. COURSE)

विषय:- सत्र 2025-26 हेतु अस्थाई संबद्धता की निरंतरता प्रदान करने विषयक।

महोदय,

विद्यापरिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 05.05.2025 में की गई अनुशंसा एवं कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 19.01.2026 में अनुमोदन पश्चात् आपके महाविद्यालय में संचालित निम्नांकित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता की निरंतरता सत्र 2025-26 हेतु निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाती है :-

S. NO.	Course	Seats
01	B.ED	100
02	B.P.ED	100
03	M.ED	50
04	MPED	30

शर्त:-

- (1) प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता/निरन्तरता हेतु आगामी सत्र 2026-27 के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सम्बद्धता शुल्क एवं आवेदन पत्र के साथ निश्चित दिनांक तक आवेदन करना होगा।
- (2) बिना सम्बद्धता/निरन्तरता के किसी छात्र/छात्रा का प्रवेश मान्य नहीं होगा। अन्यथा उसकी संपूर्ण जवाबदारी महाविद्यालय प्रबंधन की होगी।
- (3) विश्वविद्यालय परिनियम 27,28 तथा परीक्षा अध्यादेश 5,6,7 में दर्शित प्रावधानों का पालन करना महाविद्यालय प्रबंध के लिए आवश्यक होगा। किसी भी प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर यह सम्बद्धता/निरन्तरता स्वतः ही निरस्त हो जावेगी।





बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

website: <https://www.bubhopal.ac.in>

Email ID: bueducation25@gmail.com



- (4) अशासकीय महाविद्यालयों को आगामी सम्बद्धता हेतु आवेदन के साथ रु. 100-00 के स्टम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप में जानकारी जिसमें केन्द्रीय नियामक संस्था ए.आई.सी.टी.ई., नई दिल्ली की मान्यता, विश्वविद्यालय द्वारा जारी विगत वर्षों के सम्बद्धता/निरन्तरता पत्र, महाविद्यालय की संचालन समिति के पंजीयन दस्तावेज, पार्ट-ए में दर्शित दस्तावेज, समिति द्वारा क्रय की गई भूमि की रजिस्ट्री, नगर निगम/नगर पालिका/पंचायत द्वारा अनुमोदित महाविद्यालय का नक्शा, खसरा नम्बर, महाविद्यालय का निर्माणाधीन एरिया, विल्डिंग पूर्ण होने का प्रमाण पत्र, खेल मैदान की जानकारी, खेल मैदान की महाविद्यालय से दूरी एवं उसका सत्यापन, महाविद्यालय में उपलब्ध क्लासरूम की संख्या, उसमें कितने छात्रों को अध्ययन कराया जाता है, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, उपलब्ध फर्नीचर, उपकरण, कम्प्यूटर पुस्तकों की संख्या, महाविद्यालय का फोटोग्राफ जिथोटेगिंग सहित, क्लासरूम, प्रयोगशाला, पुस्तकालय का फोटोग्राफ, महाविद्यालय की समिति का पुनर्गठन, शासीनिकाय के कार्यवृत्त संबंधी जानकारी विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- (5) शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति वि.वि. परिनियम (College Code) 28 के तहत छात्रों के अनुपात में पूर्ण कर नियुक्त शिक्षकों की सूची नियुक्तिपत्र, ज्वाइनिंग रिपोर्ट, शिक्षकों का आधार नम्बर, मोबाईल नम्बर, शिक्षकों के बैंक खातों की जानकारी विश्वविद्यालय में हार्डकापी में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। महाविद्यालय को स्वीकृत सीट संख्या महाविद्यालय में प्रवेशित/अध्ययनरत छात्रों की संख्या एवं सूची तथा रिक्त सीटों की संख्या की जानकारी विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- (6) महाविद्यालय को विश्वविद्यालय परिनियम 28 के अंतर्गत समस्त जानकारीयें महाविद्यालय की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
- (7) महाविद्यालय की बेलेंसशीट, आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
- (8) शासी निकाय का गठन कर नियमित बैठक का आयोजन एवं विवरण तीन माह में वि.वि. को भेजना होगा।
- (9) संबंधित पाठ्यक्रमों हेतु FDR वि.वि.में जमा करना अनिवार्य होगा।
- (10) उक्त शर्तों का पालन नहीं करने पर परिनियम-27 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
- (11) शासकीय महाविद्यालय के लिए:- जनभागीदारी समिति के कार्यवृत्त विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
भोपाल, दिनांक 6/07/26

पृ० क्रमांक 447/अकादमी/संबद्धता/प्रबंध संकाय/2026/R

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् नई दिल्ली।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल नर्मदापुरम् संभाग भोपाल।
4. प्रभारी, वि.वि. आई.टी/वेब सेल भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
6. कुलपति/कुलसचिव के निज सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।
7. निज नस्ती

सहा.कुलसचिव, अकादमी
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

